न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

अधिग्रहणअपील वाद संख्या– 04/2016

राज्य बनाम जगदीश भगत

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अधिग्रहण वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के पत्रांक 1696–2 दिनांक 01.08.2016 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारंभ की गयी है।

गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 26.06.2016 की रात्रि एवं 27.06.2016 सुबह को सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहरसा के समक्ष राजनपुर अवस्थित जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री जगदीश भगत के घर एवं दूकान के सामने संदिग्ध अवस्था में उजला रंग का बेलेरो पिकअप वेन BR-19B-5793 पर लदे एवं दुकान से कुल 03 क्विंटल गेहूँ, 23 क्विंटल 60 किलो चावल तथा ब्लू रंग का अनुदानित किरासन तेल, 400 सौ लीटर 11 ग्रामीण गवाहों के समक्ष प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महिषी द्वारा जप्त कर महिषी थाना में कांड संख्या– 82/16 दिनांक 27.06.2016 दर्ज करायी गयी है। जप्त खाद्यान्न एवं किरासन तेल के अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा से प्राप्त अधिग्रहण प्रस्ताव पर इस कार्यालय के ज्ञापांक 1510–2 दिनांक 30.08.2016 द्वारा श्री जगदीश भगत जन वितरण प्रणाली विक्रेता राजनपुर तथा मालिक बेलेरो पिकअप भान से कारण पृच्छा की मांग की गयी।

जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री जगदीश भगत का कहना है कि महिषी प्रखंड अन्तर्गत वे राजनपुर ग्राम पंचायत के डीलर है और 12 बोरा चावल जो उनके घर एवं दूकान तथा तीन क्विंटल गेहूँ एवं नीले रंग का लोहे की ड्रम में 200–200 लीटर किरासन तेल जप्त कर कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। इन्होनें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 A के अन्तर्गत कार्यवाही चलाने का जिक्र कर कहा है कि– Provision of section 6A of the E.C. Act which laid down where any essential commodity is seized in pursuance of an of an order made u/s 3 in the relation there to, it shall be reported without any unreasonable delay to the collector of the district in which such essential commodities is seized and the collector may if he thinks expedient so to do, inspect or caused to be inspected such essential commodities, whether or not the prosecution is instituted for the contravention of such order and the collector if satisfied that there has been a contravention of the order may order confiscation of the essential commodity so seized. लेकिन यहाँ धारा 3 का कोई उल्लंधन नहीं किया गया है और इसका उल्लेख न तो अधिग्रहण कार्यवाही में है और न ही नोटिस में। इस तरह यह कार्यवाही रद्द करने योग्य है। इसके अतिरिक्त इनका कहना कि धारा 6 B अन्तर्गत इन्हें नोटिस की गयी है, जबकि 6 A में स्पष्ट प्रावधान है कि जिस व्यक्ति से जप्ती की कार्रवाई का समुचित अवसर देकर अधिग्रहण की कार्यवाही की जानी है जो प्रस्तुत वाद में नहीं किया गया है। अतः वाद खारीज योग्य है।

आवेदक जन वितरण प्रणाली विक्रेता है तथा इन्हें जो भी समान आवंटित होता है को उठाव कर निर्धारित मात्रा में नियत कीमत पर उपभोक्ताओं को वितरित करते रहे है, और अब तक किसी उपभोक्ता द्वारा इनके विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की गयी है। आवेदक दिनांक 02.06.2016 को विभिन्न योजनाओं का चावल एवं गेहूँ का उठाव कर 04.06.2016 से 26.06.2016 तक उपभोक्ताओं के बीच वितरित किया। पीएचएच क्विंटल चावल भंडार में था। गणना करने पर दोनों योजनाओं का 6 क्विंटल चावल 27.06.2016 के संबंधित पदाधिकारी द्वारा जप्त किया गया। आवेदक में उल्लिखित पीएचएच एवं अन्त्योदय योजना का 01.06.16 को गेहूँ का उठाव कर 04.06.16 से 26.06.16 तक वितरण किया तथा शेष पीएचएच में जिनका 3 क्विंटल 12 किलो एवं 84 किलो अन्त्योदय का बचा था। इस तरह उनके भंडार में 3 क्विंटल 96 किलोग्राम गेहूँ उपलब्ध था। दो लोहे के ड्रम में 200 लीटर करके कुल 400 लीटर दिखलाया गया है, हालांकि उपभोक्ताओं के बीच वितरण के बाद 170 लीटर

800 एम0एल0 एवं चलन्त दूकान का 150 लीटर कुल 326.80 लीटर भंडार में था एवं बिना वजन के 400 लीटर जप्ती में दिखाया गया है। कारण पृच्छा के साथ पीएचएच अन्त्योदय योजना के गेहूँ चावल की भंडार पंजी, किरासन तेल भंडार की छायाप्रति संलग्न की गयी है, आवेदक का कहना है कि आवेदक न तो अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंधन किया है और न ही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान का ही उल्लंधन किया है। आवेदक आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत दायर मुकदमें में अभी जमानत पर है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। अधिग्रहण वाद की कार्यवाही न्याय संगत नहीं है तथा रद्ध करने योग्य है। इस तरह आवेदक ने स्पष्टीकरण को स्वीकार कर जप्त खाद्यान्न आवेदक के पक्ष में मुक्त करने की याचना की है ताकि लाभर्थियों के बीच इसका वितरण किया जा सके।

श्री गौतम कुमारए मालिक बेलेरो निबंधन संख्या– NBR-19B-5793 पर अपने कारण पृच्छा में कहा है कि 44 बोरा चावल जिसमें प्रत्येक में 40 किलो चावल होने की बात कही जा रही है और जप्त किया है, जबकि प्रत्येक बोरे में 60 किलो चावल है जो गणना के आधार पर 26 क्विंटल 40 किलो होता है। अग्रतर इनका कहना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 A के अधीन अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ की गयी है, जबकि प्रावधान है कि –

Where any essential commodity is seized in pursuance of an order made u/s 3 in the relation there to, it shall be reported without any unreasonable delay to the collector of the district in which such essential commodities is seized and the collector may if he thinks expedient so to do, inspect or caused to be inspected such essential commodities, whether or not the prosecution is instituted for the contravention of such order and the collector if satisfied that there has been contravention of the order may order confiscation of the essential commodity so seized but here in this case no essential commodities have been seized in pursuance of an order made u/s 3 न तो अनुमंडल पदाधिकारी के प्रस्ताव में और न ही निर्गत नोटिस में प्रावधान के उल्लंधन का जिक्र किया गया है। इस तरह प्रस्ताविक अधिग्रहण कार्यवाही रद्ध होने योग्य है। अग्रतर श्री कुमार का कहना है कि धारा 6 B से अन्तर्गत– no order confiscating any essential commodity shall be made under section 6 A unless the order of such essential commodity or the person form whom it is seized is given a notice in writing informing him of the grounds on which it is proposed to confiscation the essential commodity and is given a reasonable opportunity being heard in the matter and no order confiscating an essential commodity shall be invalid merely by reason of any defect or irregularity in the notice given under (a) (i) इस तरह यह कार्यवाही रद्ध करने योग्य है। चूँकि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 B का अनुपालन नहीं किया गया है। आवेदक जन वितरण प्रणाली विक्रेता नहीं है। आवेदक एक कृषक है तथा खाद्यान्न का छोटा व्यापार भी करते है, जिसके तहत गॉव में खाद्यान्न की खरीद कर नजदीक के बाजार में बेचा करते है और इस पर न तो भारत सरकार या बिहार सरकार का कोई प्रतिबंध है और न ही किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। खाद्यान्न के व्यापार के उद्धेश्य से गॉव से बाजार जाने के लिए आवेदक ने बेलेरो पिकअप भेन की खरीद की थी और आवेदक के खेत के उपज का 44 बोरा चावल पिकअप भेन पर रात्रि में लादकर दूसरे दिन सुबह बाजार ले जाने के लिए जन वितरण प्रणाली दूकानदार जगदीश भगत के दरवाजे के सामने रखा था क्योंकि दोनों का घर आमने–सामने है और संदेह के आधार बिना किसी जॉच के खाद्यान्न को जप्त कर लिया गया जो स्पष्टतया आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 का उल्लंधन है। आवेदक एक कृषक है को साक्ष्य स्वरूप अपने दादा के नाम के जमीन जमाबंदी नंबर 64, 65, 511 एवं 1010 रकवा कुल 11 एकड़ का रसीद की छाया प्रति भी कारण पृच्छा के साथ संलग्न किया है। जगदीश भगत जन वितरण प्रणाली दूकानदार दूकान से जप्त सामग्री का इससे कोई संबंध नहीं है और प्रतिपक्षी आवेदक ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के

प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं किया है। प्रतिपक्षी आवेदक को बिना किसी दोष का इस अधिग्रहण वाद में घसीटा गया है। अन्ततः विपक्षी ने समर्पित कारण पृच्छा को स्वीकार कर बेलेरो से जप्त खाद्यान्न को मुक्त करने की याचना की है।

दोनों प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। प्रतिपक्षी जगदीश भगत जन वितरण प्रणाली विक्रेता का यह कहना है कि 02.06.16 को उठाव किया गया, खाद्यान्न चावल गेहूँ तथा किरासन तेल का 04.06.16 से 26.06.16 तक उपभोक्ताओं एवं लाभार्थियों के बीच वितरण के उपरान्त भंडार पंजी में दर्शित अवशेष उनके दूकान में पड़ा था, जिसे जप्त कर कार्यवाही की गयी है। विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि 23 दिन जो एक लम्बी अवधि है कि बीच उपभोक्ताओं/लाभार्थियों के बीच वितरीत नहीं करवाना संदेह उत्पन्न करता है, और जॉच पदाधिकारी द्वारा पंजी की मॉग करने पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा पंजी नहीं देना उनकी कालाबाजारी में संलिप्ता को भी संपुष्ट करता है। स्पष्टतया डीलर जगदीश भगत जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं गौतम कुमार मालिक बेलेरो की इस कालाबाजारी में संलिप्तता है।

चूँकि जप्त खाद्यान्न खराब जो सकता है और मामला व्यवहार न्यायालय के विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में जप्त खाद्यान्न एवं किरासन तेल अधिग्रहित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि नियमानुसार जप्त खाद्यान्न एवं तेल बिक्री कराकर उससे प्राप्त राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा करवा दें। व्यवहार न्यायालय से पारित आदेशानुसार इसका निष्पादन सुनिश्चित होगा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 572-2/ विधि, सहरसा, दिनांक-30-03-17.

प्रतिलिपि- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

30-3-17